न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 478 / 2024 निर्णय दिनांक :–25.11.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. प्रहलाद पुत्र कल्याण जाति रेगर निवासी कनवाड़ा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. दुर्गा देवी पत्नी राजेश जाति रेगर निवासी कनवाड़ा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
3. सोनू देवी पत्नी शंकर लाल जाति रेगर निवासी कनवाड़ा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री रमेश चंद शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 155 खसरा नम्बर 1894 रकबा 0.5800 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.5800 है0 वाके तनग्राम कनवाड़ा पटवार हल्का कनवाड़ा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि में आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण की भूमि व गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 3068 / 1895 के मध्य खसरा नम्बर 1895 जो सिवायचक भूमि है में से होकर जाने के अलावा प्रार्थीगण के खेत में जाने का अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकॉर्ड में आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा रास्ते के अभाव में अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रहे है जिससे प्रार्थीगण को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 1895 में से होकर खसरा नम्बर 3068 / 1895 तक 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है, जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण नियमानुसार व आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी भूमि खाता संख्या 155 खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1894 रकबा 0.5800 है0 कृषि भूमि तन वाके ग्राम कनवाड़ा पटवार हल्का कनवाड़ा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 1895 में से होकर खसरा नम्बर 3068 / 1895 तक 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब / रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:–

प्रार्थीगण की आराजी खसरा न0 1894 रकबा 0.58 है0 पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता

है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नही किया जा सकता। प्रस्तावित रास्ता ग्राम कनवाड़ा के ख0न0 626 किस्म गै0मु0 रास्ता (वर्तमान में कनवाड़ा–स्यावता डामर सड़क) से ख0न0 3068/1895 गै0.मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित रास्ता खसरा न0 1895 में से रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर व लम्बाई 106 मीटर यानि 530 वर्गमीटर यानि रकबा 0.0530 है0 प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 322333/– प्रति0 है0 है जिसकी दुगुनी प्रतिकर राशि 34170 रूपये होगी। आवेदक की आराजी ख0न0 1894 रकबा 0.58 है0 खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी आराजी ख0न0 1895 ग्राम कनवाड़ा में से रास्ता चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड़ दीवार इत्यादि नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, और डीएलसी की प्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में नियमानुसार कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार दूनी ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार दूनी के जवाब/रिपोर्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट में प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 1894 रकबा 0.58 है0 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ख0न0 1895 में से रास्ता चाहा गया है राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि आपके कार्यालय क्रमांक :राजस्व/2024/154 दिनांक 01.05.2024 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खाता नम्बर 155 खसरा नम्बर 1894 रकबा 0.5800 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.5800 है0 वाके तनग्राम कनवाड़ा पटवार हल्का कनवाड़ा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग खसरा न0 1895 में से रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर व लम्बाई 106 मीटर यानि 530 वर्गमीटर यानि रकबा 0.0530 है0 जिसकी दुगुनी प्रतिकर राशि 34170 रूपये होगी। दुगुनी प्रतिकर राशि जमा कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि जमा राजकोष करवाया जावे। पालना रिपोर्ट 30 दिवस में पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 25.11.2025 को सुनाया गया।

Ruby

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी